कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-234001 Website- www.datiamedicalcollege.com
E mail Id-datiamedicalcollege@gmail.com & datiamedicalcollege2018@gmail.com
पता-29 बटालियन के पास, एन.एच. 75, जिला दतिया, म.प्र. पिनकोड - 475661

पत्र क्रमांक - 1519 दतिया. दिनांक -15/02/2022

सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम (Paramedical Courses)

:: प्रवेश - विज्ञप्ति ::

स्ववित्तीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षण सत्र 2021-22 में, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् से मान्य निम्नांकित पैरामेडीकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित है-

क्र.	पाठ्यक्रम	विभाग	डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	कोर्स की अवधि	विज्ञप्ति सिट्स संख्या
1.	Optometrist Refractions	Opthalmology	Diploma	2 वर्ष	40
2.	Clinical Biochemistry	Biochemistry	Diploma	2 वर्ष	40
3.	Microbiology	Microbiology	Diploma	2 वर्ष	40
4.	Medical Lab Technician	Pathology	Diploma	2 वर्ष	40
5.	Health Inspector	Community Medicine	Certificate	1 वर्ष	40
6.	Anaesthesia Technician	Anaesthesiology	Certificate	1 वर्ष	40
7.	Orthopedic Technician	Orthopedic	Certificate	1 वर्ष	40
8.	O.T. Technician	General Surgery	Certificate	1 वर्ष	40
9.	Hospital Medical Record Science	Community Medicine	Certificate	1 वर्ष	40
10.	Respitatory Technician	Pulmonary Medicine	Certificate	1 वर्ष	40

उपलब्ध सीट्स की संख्या परिवर्तनीय हैं।

Scanned with CamScanner

विस्तृत विवरण, परिनियम, उपबंध एवं निर्देश

1. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : 25/02/2022 सांय 5:00 (पांच) बजे तक।

आवेदन पत्र, निम्नलिखित पते पर प्रेषित अथवा जमा करें:

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 29 बटालियन के पास, एन.एच. 75, जिला दतिया, म.प्र. पिनकोड - 475661 के पते पर प्रेषित अथवा जमा करें।

(क) आवेदन प्रपत्र स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक अथवा स्वयं के द्वारा जमा किए जा सकते है।

(ख) व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय कार्यालय में आवेदन प्रपत्र कार्य दिवस के दिन पूर्वान्ह 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक जमा किए जाएंगें।

(ग) आवेदन प्रपत्र तथा संलग्न अभिलेख एवं निर्धारित आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट, ए-4 के आकार के पत्र आवरण में सील बंद करके उसके अग्र उपरी भाग पर "सह- चिकित्सीय पाठ्यक्रम आवेदन 2022' उल्लेखित करें।

2. आरक्षण :

(क) मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार उपलब्ध स्थानों में से अधिकतम दस प्रतिशत स्थान विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित है। शेष उपलब्ध स्थानों में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित एवं वर्तमान में प्रभावशील आरक्षण नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

(ख) काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश महाविद्यालय के निर्णय अनुसार दिया जावेगा। यदि आरक्षण के अनुसार किसी आरक्षित श्रेणी में अभ्यार्थी (आवेदक) उपलब्ध नही होते है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में नियमानुसार परिवर्तित कर चयन की कार्यवाही की जाएगी।

3. आवेदन शुल्क :

अनारक्षित श्रेणी : 600 रू/- छ: सौ रू मात्र ।

आरक्षित श्रेणी : 300 रू/- तीन सौ रू मात्र।

आवेदन शुक्ल 'Government Medical College Autonomos Society Datia" के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी निर्धारित आवेदन राशि का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट, आवेदन प्रपत्र के साथ मूलतः संलग्न करें एवं उसका विवरण आवेदन प्रपत्र में अंकित करें।

4. पाठ्यक्रम शुल्क विवरण (मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07/10/2021 अनुसूची-बारह नियम 10 में उल्लेखित शिक्षण शुल्क डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निम्नानुसार निर्धारित हैं:-

डिप्लोमा पाठ्यक्रम दो वर्षीय)

अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण वार्षिक शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शिक्षणोत्तर शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	सुरक्षा निधि (प्रति देय)	योग रु
प्रथम वर्ष	47,910	1000	1000	1000	5000	55,910/- पचपन हजार नौ सौ दस
द्वितीय वर्ष	51,460	1000	1000	1000	निरंक	54,460/-चौवन हजार चार सौ साठ

Scanned with CamScanner

प्रमाण पत्र (Certificate) पाठ्यक्रम एक वर्षीय

अध्ययन वर्ष	प्रशिक्षण वार्षिक शुल्क	प्रयोगशाला शुल्क	शैक्षणोत्तर शुल्क	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	सुरक्षा निधि (प्रति देय)	योग रु
प्रवेश वर्ष	34,604	1000	1000	1000	5000	42,604/- बियालीस हज़ार छः सौ चार

5. शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता:-

(क) राज्य अथवा केन्द्रीय शासन द्वारा संचालित/अधिमान्य शिक्षा मंडल द्वारा 10+2 उच्चतर माध्यमिक प्रणाली में आयोजित जीव विज्ञान विषय समूह परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) ऐसे छात्र जो बारहवी कक्षा, लेबोरेटरी मेडिसन, क्लीनिकल बॉयोकेमिस्ट्री एवं माईक्रोबॉयोलोजी से उत्तीर्ण हुए है। ऐसे विद्यार्थियों को केवल मेडिकल लैब टेक्नीशियन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता होगी।

अर्हता न्यून्तम प्राप्तांकः

अनारक्षित संवर्ग हेतु : 40% चालीस प्रतिशत

आरक्षित संवर्ग हेतु : 33% तैतीस प्रतिशत

6. न्यूनतम आयु पात्रता

किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु प्रवेश हेतु विज्ञापन की तिथि को 17 वर्ष सें कम एवं 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

7. मूल निवासी पात्रता :

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मूलनिवासी प्रमाण-पत्र धारी अभ्यार्थियों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जावेगी।

8.चयन प्रक्रिया:-

(क) जीव विज्ञान विषय समूह में उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर विकल्प आधारित योग्यता क्रम सूची के अनुसार पर चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी। यदि एक से ज्यादा अभियार्थियों के प्राप्तांक समान हैं तो इस स्थिति में जीव विज्ञान समूह में प्राप्त अंको तत्पश्चात जीव विज्ञान ,रसायन विज्ञान, फिर भौतिक शास्त्र के अंको द्वारा उस आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि इस आधार पर भी आवेदकों की वरीयता पर निर्णय नही हो पाता हैं, तो अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) पाठ्यक्रम/ विषय विकल्प:

अभ्यार्थी आवेदन प्रपत्र में दर्शाये गये विकल्प क्रम में अपने विषय विकल्प की प्राथमिकता अंकित कर सकते हैं।

(ग) विषय विकल्प विमर्श तिथि **(subject councelling):**

councelling की सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल एवं बेबसाइट www.datiamedicalcollege.com पर भी। उपलब्ध रहेगी।

Scanned with CamScanner

(घ) ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार अपनी बारी आने पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों की जांच व निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित नही होते है, तो उनके काउंसलिंग तथा प्रवेश संबंधी सभी अधिकार समाप्त हो जाएगे।

9. विषय विकल्प विमर्श परीक्षण समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग के दूसरे चरण पाठ्यक्रम चयन में भाग लेने की पात्रता होगी।

10. एक बार काउंसलिंग के दौरान विषय चयन करने के उपरांत अन्य पाठ्यक्रम की पाठ्यक्रम में परिवर्तन नही किया जावेगा।

11. यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात् पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिए लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा समस्त शुल्क राजसात कर लिया जावेगा।

12. प्रवेश के समय रू 5000 सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात यह राशि छात्र/छात्रा को बिना ब्याज के प्रतिदेय (वापिस) की जायेगी। साथ ही किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ने की स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

13. छात्र को समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विभिन्न नामांकन शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा।

14. संलग्न हेतु आवश्यक अभिलेख सूची:- आवेदन प्रपत्र के उल्लेखित आवश्यक अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियॉ, अनुलग्न क्रमांकनुसार आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

15. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, विसंगति, पूर्ण, शुल्क विहीन तथा विलंब से प्राप्त आवेदन प्रपत्र पूर्णतः अमान्य होगें।

16. प्रवेश वर्ष का पूर्ण शुल्क प्रवेश पत्र में दर्शाई गई अंतिम तिथि तक निर्धारित माध्यम से लेखा शाखा में जमा करना अनिवार्य है।

17. द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रमों के अभ्यार्थियों को द्वितीय अध्ययन वर्ष हेतु निर्धारित पूर्णः महाविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करना अनिवार्य है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

18.आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में प्रतिदेय (वापिस योग्य) नहीं होगा।

19. विद्यार्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले समस्त (original) मूल अभिलेखों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक, सह चिकित्सीय प्रभाग में जमा किये जायेंगे। (सभी अंकसूची/प्रमाण पत्र आदि) समस्त जमा किए जाने वाले अभिलेखों की अलग से 10-10 सेट छायाप्रतियों तथा स्कैन pdf फाइल आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों रिकार्ड से कभी भी कोई मूल अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि जमा मार्कशीट/प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों अत्यंत आवश्यकता दर्शाते हुए, किसी विद्यार्थी द्वारा चाही तो उसके लिये विद्यार्थी को आवेदन के साथ 100/- रू की छायाप्रति का शुल्क कार्यालय में व्हाउचर के माध्यम से जमा करना होगा।

20. सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम स्वशासी संस्था का पूर्णतः स्ववितीय पाठ्यक्रम है, अतः सभी श्रेणी / संवर्ग के अभ्यार्थियों को प्रवेश के समय निर्धारित शुल्क पूर्ण रूप से महाविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करना होगा। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के विभिन्न संवर्गो मे प्रवेशित विद्यार्थियों को म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं का लाभ शासकीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार संचालित योजनाओं के अधीन पात्रता नियमानुसार प्राप्त होगा।

Scanned with CamScanner

21. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के म.प्र. शासन के नियमानुसार छात्रवृति की पात्रता होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृति स्वीकृत नहीं कि जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

22. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति के माध्यम से छात्रवृति की पात्रता धारित वाले छात्रों को पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती हैं। म.प्र. शासन द्वारा सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम के शुल्क में यदि वृद्धि की जाती है एवं यदि संबंधित विभाग द्वारा शुल्क में की गई वृद्धि के अनुरूप शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है तो छात्र को स्वयं पूर्ण करना होगा।

23. ऐसे सभी छात्र-छात्राओं को जिन्हें शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता होगी उन्हें संबंधित विभाग म.प्र. शासन के निर्धारित छात्रवृत्ति फार्म निर्धारित समयवधि प्रवेश से एक माह तक में आवेदन करना होगा एवं समय-समय पर छात्रवृति आवेदन पत्र भरना होगा। छात्रवृति फार्म न भरे जाने के कारण संबंधित छात्र-छात्राओं पाठ्यक्रम शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

24.चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं लोकस्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों हेतु 10% (दस प्रतिशत) स्थान आरक्षित है। विभागीय सेवारत अभ्यार्थियों को पाठ्यक्रम में आवेदन किए जाने संबंधी सूचना सक्षम अधिकारी को देनी होगी परन्तु पाठ्यक्रम विकल्प विमर्श के समय संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र/अनापत्ति पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आवेदक का आवेदन अमान्य किया जाएगा तथा उसे चयन प्रक्रिया एवं प्रवेश संबंधी कोई अधिकार नहीं होगा।

25. डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

26. छात्रवृति हेतु डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

27. आरक्षित श्रेणी के सभी उम्मीदवारों को अभिभावक /पालक की समस्त स्त्रोतों से प्राप्त आय संबंधी आय प्रमाण पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही जिन विद्यार्थियों के अभिभावक / पालक शासकीय कर्मचारी है उन्हें उनके विभाग में संबंधित आयकर फार्म 16 की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

28.आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यार्थियों जिन्हें शासन द्वारा छात्रवृत्ति कि पात्रता होगी उनसे भी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान बीच में सीट छोड़ने पर प्रशिक्षण अवधि जिसमें वह अनुपस्थित रहा, उसका शुल्क वसूला जाएगा।

29.पूर्व में सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम एवं उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षित छात्र छात्राओं को नवीन शैक्षणिक सत्रों में सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रथम बार प्रवेशित अभ्यार्थियों के प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उपलब्ध पर रिक्त होने पर ही प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

30.आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्रा जिन्हें शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृति की पात्रता है को एक पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों में दुबारा प्रवेश प्राप्त करने पर पुनः छात्रवृति की पात्रता नहीं होगी। उन्हें शिक्षण शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

31. ऐसे विद्यार्थी जिन्होने विगत वर्षों में सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर अनिवार्य शुल्क में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त की गई है, उन्हें इस सत्र में पाठ्यक्रम के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उपरोक्त शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट की पात्रता नियमानुसार नहीं होगी ऐसे छात्र छात्राओं का समस्त अनिवार्य शुल्क स्वयं जमा करने होगें।

Scanned with CamScanner

32.आरक्षित वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्हें शासन द्वारा आय के आधार पर छात्रवृति कि पात्रता है, को इस संस्था में प्रथम बार पैरामेडीकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शिक्षण शुल्क की छूट की पात्रता होगी, दूसरी बार पुनः पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर समस्त शिक्षण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा।

33.प्रवेश के पश्चात यदि किसी कारण वश अध्ययन छोड़ा जाता है तो संस्थान छोड़ने का अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क रू. 1000/- जमा करने के पश्चात ही मूल अभिलेख वापिस किये जावेगे।

34. गणवेश : पैरामेडीकल पाठ्यक्रम के छात्र एवं छात्राओ को संस्था द्वारा निर्धारित स्काई ब्लू रंग के एप्रेन एवं नामपट्टिका धारण करना आवश्यक होगा, जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

35.सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम के छात्रों को महाविद्यालय में छात्रावास उपलब्ध नहीं है।

36. सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है अतः अध्ययन एवं प्रशिक्षण अवधि में किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्राप्त करके अध्ययन करना तथा किसी अन्य संस्थान में पूर्णकालीन सेवायें प्रदान करना वर्जित है।

37. अनुशासन नियंत्रणः–

सभी छात्र/छात्राऐं संस्था प्रमुख के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा यदि छात्र/छात्रा का आचरण महाविद्यालय के नियमों के विपरीत पाया गया तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुशासन समिति की अनुशंसा पर की जावेंगी या कभी भी उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी भी कारणवश प्रवेश निरस्त किया जाता है तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

किसी भी शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र/छात्राओं की अनुशासनहीनता अथवा आचरणहीनता के कारण निष्कासित किया जा सकता है।

38. यद्यपि सभी पाठ्यक्रम रोजगारन्मुखी है, फिर भी महाविद्यालय किसी भी छात्र/छात्रा को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

39. वचन पत्र प्रवेश के समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शपथ पत्र 50 रूपये (पचास रूपये) मूल्य के स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

40. आवेदन पत्र में प्रयुक्त स्वयं के फोटो की प्रतियों का उपयोग ही महाविद्यालय, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति सह चिकित्सीय परिषद आदि संबंधी प्रपत्रों में करना अनिवार्य है अतः छात्र/छात्राओं द्वारा ऐसे फोटो पर्याप्त संख्याओं में संरक्षित करना उचित होगा। अभ्यार्थी का कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साफ एवं स्पष्ट होना चाहिए, धुंधला एवं अस्पष्ट फोटो वाला फार्म स्वीकार नहीं होगा। फोटोग्राफ छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ के नीचे नाम एवं दिनांक अंकित होनी चाहिए फोटो के पीछे का बैकग्राउंड व्हाईट (सफेद) होना चाहिए। आवेदक ने जो फोटो ग्राफ पुस्तकालय, छात्रवृत्ति परीक्षा एवं अन्य जो भी फॉर्म भरवाये जायेंगे सभी में वही फोटो लगाना होगा। किसी भी स्थिति में बदले हुए फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किए जाएगे।

41. किसी प्रकार के विधि प्रकरण का न्याय क्षेत्र, माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर क्षेत्र के अतंर्गत होगा।

42. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां एवं अन्य सामग्री क्रमानुसार छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा काउंसलिंग के समय संबंधित समस्त मूल अभिलेखों को प्रस्तुत करना अनिवार्य :–

I. निर्धारित आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट में ।

II. 10 वीं परीक्षा की अंक सूची।

III. 12 वीं (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा की जीव विज्ञान समूह की अंक सूची।

IV. डिजिटल मूल निवासी प्रमाण पत्र।

V. जन्म प्रमाण पत्र।

Scanned with CamScanner

VI. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)।

VII. आय प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए)।

(आवेदकों के अभिवावक शासकीय कर्मचारी है, तो विभाग से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)

VIII. स्थानंतरण प्रमाण पत्र।

IX. माईग्रेशन प्रमाण पत्र।

X. आधार कार्ड।

XI. समग्र आई.डी.।

XII. बैंक बचत खाते का मुख्य पृष्ठ।

XIII. दो पासपोर्ट आकार के स्व नाम अंकित स्वयं के दो फोटो जो छः माह से अधिक पुराने न हों।

XIV. विभागीय अनापत्ति/ अनुमति पत्र।

XV. अनिरंतर अध्ययन (गैप) संबंधित शपथ पत्र।

XVI. अभ्यार्थी द्वारा अपना पता लिखा हुआ 30x12 से.मी. के पाँच लिफाफे जिस पर पंजीकृत/स्पीड पोस्ट हेतु रू 5/– (पाँच रूपये) के डाक टिकट प्रत्येक लिफाफे पर लगे हो।

43. पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत अभ्यार्थी को म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

44. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को सह चिकित्सीय पाठ्यक्रमों से संबंधित नियमों को बनाने संशोधित करने एवं पुराने नियमों में संशोधित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

45. विशेष सूचना महाविद्यालय, द्वारा समय समय पर प्रसारित सूचनाऐं/निर्देश महाविद्यालय की पर एवं सूचना पटल पर उपलब्ध रहेगी, अतः अभ्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे नियमित रूप से महाविद्यालय की बेबसाइट (www.datiamedicalcollege.com) एवं सूचना पटल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

आवेदन पत्र प्रारूप

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित स्वशासी संस्थान

Scanned with CamScanner

	कार्यालय प्रयोगार्थ	
प्रभाग पंजी क्रं	समग्र योग्यता क्र. विकल्प पाठयक्रम	महाविद्यालय का कार्यालयीन आवक क्र... दिनांक ....
चयनित पाठ्यक्रत विकल्प		

<u>सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्र</u>

प्रवेश वर्षः— 2021—2022
विज्ञापन क्रमांक— /दिनांकः—.................................

आवेदन हेतु अंतिम तिथिः—...

स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का अद्यतन फोटो

व्यक्तिगत विवरणः—

1. पूर्ण नाम/हिन्दी मेंः—..
....

2. पूर्ण नाम/अंग्रेजी मेंः—..
....

3. पिता/पति का नामः—...
......

4. माता का नामः—..
......

5. स्थाई निवास का पता :—...
......

जिला :—...पिनकोड :—...............................राज्य :—...
......

6. सम्पर्क दूरभाष मोबाइल क्र. एस.टी.डी. कोड सहित ....
....

7. वर्तमान पत्राचार निवास का पता :—..
....

जिला :—...पिनकोड :—....................राज्य :—...
....

8. पुरूष / महिला :—...
....

Scanned with CamScanner

जन्म तिथि कक्षा दस हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र के अनुसार

अंको में.......................................शब्दों में..

....

10. आयु प्रवेश सत्र के अनुसार की स्थिति में.......................वर्ष .... दिन..

....

11. आधार पत्र का क्रमांक :–...

......

क्रमशः...02 पर

12. समग्र पहचान क्रमांक :–...

......

13. "पाठ्यक्रमांक विकल्प"

क्रमांक	पाठ्यक्रम विषय का नाम	डिप्लोमा/प्रमाण पत्र
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		

14. अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

10+2 पद्वति में हायर सेकेण्डरी परीक्षा का विवरण :–

परीक्षा मंडल का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	पूर्णांक का योग	प्राप्तांक का योग	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी

15. जीव विज्ञान समूह में प्राप्तांक विवरण :–

	जीव विज्ञान	भौतिक शास्त्र	रसायन शास्त्र	योग
अधिकतम अंक				
प्राप्तांक				

Scanned with CamScanner

16. अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताएं :-

परीक्षा मंडल का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक का योग	प्राप्तांक का योग	श्रेणी

क्रमशः...03 पर

स्वघोषण–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन प्रपत्र में दी गई समस्त जानकारियां मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही एवं सत्य है।यदि उपरोक्त जानकारी वर्तमान में अथवा भविष्य में किसी भी समय असत्य गलत एवं मिथ्या पाई जाती है, तो आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही के अधीन मेरा यह आवेदन एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकता है, जिनका पूर्ण उत्तरदायित्व मुझ आवेदन कर्ता पर होगा।

हस्ताक्षर आवेदक...

हस्ताक्षर अभिभावक...

नाम आवेदक...

नाम अभिभावक...

दिनांक...

स्थान...

विशेषः–

पूर्णतः भरे एवं हस्ताक्षरित इस आवेदन प्रपत्र एवं संलग्न अभिलेखों को ए–4 आकार के पत्रावरण में सुरक्षित रूप से बंद करके अग्र उपरी भाग पर "सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम आवेदन 2022" उल्लेखित करें, तथा स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करें अथवा कार्यालयीन समय में व्यक्तिगत जमा करें, निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे।

Scanned with CamScanner